

राजस्थान सरकार  
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.11(61)वित्त/आब/2012

दिनांक: 08.10.2018

आदेश

श्री लालाराम रेगर, आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जोन जोधपुर ने प्रार्थना-पत्र दिनांक 27.06.2018, दिनांक 28.08.2018 एवं दिनांक 12.09.2018 द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन किया है।


श्री लालाराम रेगर, आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जोन जोधपुर के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन को निर्देशानुसार स्वीकृत करते हुये राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 संशोधित नियम, 1999 के नियम 50(1) के अंतर्गत श्री रेगर को दिनांक 08.10.2018 से राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

कार्मिक विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि श्री रेगर के विरुद्ध आदिनांक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।

उपरोक्त स्वीकृति मुख्यमंत्री कार्यालय की आईडी सं. एफ-18003581 दिनांक 05.10.2018 के अनुसरण में जारी की जाती है।


आज्ञा से,



(औकारमल राजोतिया)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक: 369 दिनांक 25.07.2018, क्रमांक: 424 दिनांक 29.08.2018 एवं क्रमांक: 459 दिनांक 18.09.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।
6. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग।
7. श्री लालाराम रेगर, आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल, जोन जोधपुर द्वारा आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव